11/3/2020	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा पत्रावली मे हमराह शामिल रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीनः— अधिकारी देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0 40/10 | आर.सी.एम.एस 2016/00045 | तारीख रजू 30.8.2010

1.गुलाम रब्बानी पुत्र मोहम्मद आफाक खाँ — फौत
1/1. मो0 अशफाक
1/2. मो0 उमर खाँन — पिसरान गुलाम रब्बानी
1/3. मो0 फारूख खाँन
1/4. आयशा खातून
1/5. रूखसाना खातून
1/6. आरीफा खातून — पुत्रियाँ गुलाम रब्बानी
1/7 अफसाना खातून
जाति— मुसलमान पठान, निवासी चटीकना करौली

—सायलान

बनाम

हण्डू पुत्र नामालूम जाति—गुर्जर नि0 — ग्राम सिंघानिया, सबतहसील — मासलपुर, तह0 व जिला करौली
तहसीलदार, तहसील—करौली लैण्डहोल्डर

—गैरसायलान

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति—1. श्री श्याम प्रकाश गर्ग वकील सायल
2.श्री नवल किशोर शर्मा वकील गैर सायल

<u>निर्णय</u> दिनांकः—11.3.2020

वकील फरीकेन उपस्थित मजीद बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील सायल का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नं0 384 रकबा 4 बीघा 2 बीस्वा ग्राम बेचपुरी तहसील करौली सायलान की पुश्तैनी वाहिद खातेदारी व कब्जे काश्त की है। आर.टी. एक्ट लागू होने के दिनांक उसके पहले व बाद इस जमीन पर सायल के पिता भाई व सायल बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहे है। संवत् 2012 में भुल्लन का नाम काश्त करने के आधार पर गलत दर्ज हो गया था। जिसका पता लगने पर भुल्लन से हमने हमारे हक में रजिस्टर्ड व नामा लिया, खातेदार अली अहमद सायल का भाई लाऔलाद फौत हो चुका है। जिसका एकमात्र वारिश सायल है। इस जमीन से चन्टोली का कभी कोई ताल्लुक नही रहा है। चन्टोली नाम का कोई व्यक्ति ग्राम महाराजपुरा का निवासी नहीं रहा है। और ना ही वोटर लिस्ट में नाम है। चन्टोली ने इस जमीन को कभी काश्त नहीं किया है। सैटिलमेंट

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with CamScanner

विभाग द्वारा संवत् 2015 में गैर कानूनी तरीके से बिना किसी अधिकार के जमाबन्दी में चन्टोली का नाम दर्ज कर दिया है। सैटिलमेंट विभाग पिछलें इन्द्राज को ही दर्ज कर सकता है। उसमें कोई तरमीम नहीं कर सकता। चन्टोली नें मुझे काश्त में कभी रूकावट नही डाली। दिनांक 25.07.2009 को गैर सायल हण्डू जो जमीन पर आकर कहा कि मैं चन्टोली का लड़का हूं। और चन्टोली के नाम जमीन के इन्द्राज है, इसलियें मैं इस जमीन की रजिस्ट्री गदठ वाले व्यक्ति को कराउंगा। और इस तरह तुम्हार कब्जा छिनूंगा। तब जमाबन्दी की नकल ली, तब मुझे पता चला कि जमाबन्दी में 1/3 हिस्से में चन्टोली का नाम गलत दर्ज हो रहा है और गैर सायल नें चन्टोली के स्थान पर अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर जमीन को बेचने में व सायल को बेदखल करने की धमकी दी है इसलिये सायल गैर सायल को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अन्त में प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील गैरसायल का बहस में कथन है कि खसरा नं0 384 गैर सायल के पिता चन्टोली के खातेदारी व कब्जें की आर.टी.एक्ट लागू होने से पूर्व से ही रही है। जिस पर गैर सायल के पूर्वज हमेशा हमेश से बतौर खातेदार काबिज काश्त है। भुल्लन के नाम खातेदारी होना व भुल्लन से रजिस्ट्री कराना सायल ने गलत दर्ज किया है। सायल जमीन पर वाहिद रूप सें काबिज काश्त नहीं है। बल्कि गैर सायल चन्टोली के जमाने से हिस्सा 1/3 पर काबिज काश्त है। सैटिलमेंट विभाग द्वारा पूर्व इन्द्राज के आधार पर ही खातेदारी दर्ज की है। जो सही है। सायल ने दावा व प्रार्थनापत्र गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किये है। गैर सायल मूलतः महाराज पुरा बिचपुरी का रहने वाला है और महाराजपुरा बिचपुरी में ही पैदा हुआ हैं तथा वहीं पर पला एवं बडा हुआ है पिता चन्टोली भी पूरे जीवन महाराजपुरा बिचपुरी में रहा है। पिता की मृत्यु होने पर गैर सायल अपने रिश्तेदारों के यहां ग्राम सिंघनिया चला गया क्योंकि गैर सायल के माता पिता गैर सायल को नाबालिग अवस्था में छोड़कर स्वर्गवासी हो गये थे। गैर सायल दोनो जगह रहा है सायल की पूर्ण जानकारी में है। प्रार्थनापत्र के द्वारा सायल गैर सायल के विरूध्द कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अन्त में प्रार्थनापत्र सायल खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील फरीकेन का मनन कर विवेचन किया गया पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2015 व संवत् 2066 से 2069 में गैर सायल के पिता चन्टोली का 1/3 हिस्सा व सायल का 2/3 हिस्सा अंकित हैं। जमाबन्दी संवत् 2010 सें 2013 में खसरा नं0 384 का साबिक खसरा नम्बर 266 में 1/2 हिस्सा सायल के पिता नि. अफीर अहमद का दर्ज है। एवं 1/2 हिस्सा भुल्लन का दर्ज है। जिसे सायल नें अपने पिता द्वारा भुल्लन सें रजिस्टर्ड व नामा से खरीदना प्रार्थनापत्र में दर्ज किया है। परन्तु सायल द्वारा उक्त व नामा कों पत्रावली में प्रस्तुत नही किया है एवं संवत् 2015 के इन्द्राज को संवत् 2066 में चुनौती दी है जिसे 50 वर्ष की अवधि गुजरने के बाद दी है गैर सायल का पिता भूमि के 1/3 हिस्सा का सायल के साथ सह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार सायल सह खातेदार काश्तकार के विरूध्द अस्थायी निषेधाज्ञा किसी प्रकार की प्राप्त करने का हकदार नहीं है। सायल अपना केस प्रथम दृष्टया साबित करने में असफल रहा है। यदि गैरसायल सह खातेदार काश्तकार कों अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तब

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Scanned with CamScanner

अपूर्णीय क्षति व असुविधा सायल के बजाय गैर सायल को होगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र सायल अस्वीकार किये जाने योग्य है।

तथा प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सायल विरूध्द गैरसायलान खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम होकर हम फीता मूल दावा रहे। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner